

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य./सांख्यिकी/सं.सू./29826/2024-25/

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

1. समस्त संयुक्त निदेशक।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक।

विषय:-शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाएं विद्यालय से ऑनलाईन नहीं मागे जाने बाबत।

प्रसंग:-विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग मंत्री का पत्र दिनांक:-मंत्री/शिक्षा/पंरा/2025/11249
जयपुर दिनांक:- 07.01.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विद्यालय से संबंधित जो सूचनाएं शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है, ऐसी सूचनाएं संकलन के लिये शालादर्पण पोर्टल का उपयोग लिया जावे।

अतः इस संबंध में आपको पाबन्द किया जाता है कि शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाएं विद्यालयों से नहीं मांगी जावें, इसकी अवहेलना की स्थिति में आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी, जिसके लिये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी।

(आशीष मोदी)

IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :-निम्नानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग मंत्री, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राज्य स्कूल शिक्षा परिषद।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, मा.शि.निदेशालय, बीकानेर।
6. गुप अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व में निदेशक महोदय द्वारा जारी आदेश राजकाज क्रमांक:- 6294375 दिनांक:-26.03.2024 को जारी आदेशों की पालना की जानी सुनिश्चित करें एवं शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाएं अधीनस्थ कार्यालयों से नहीं मांगी जावे।
7. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त सूचनाएं अद्यतन रखना सुनिश्चित करें।
8. रक्षितपत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा